



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 2, 2017 (PAUSA 12, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 02 जनवरी, 2017

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) ए.एम.बी./ए.सी.ए-V/2017/2.- चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र निर्माण क्रियाकलाप, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, आमोद-प्रमोद संबंधी सम्पदाओं/क्रियाकलापों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतु संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् : -

### अनुसूची

जिला अम्बाला पार्ट-V के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी.पी(ए) 2984/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के साथ पढ़ा जाए।

बिन्दु 'ए' जहां जिला कुरुक्षेत्र तथा अम्बाला की सीमा मिलती है बिन्दु से प्रारम्भ होती है। तत्पश्चात् उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो पहले से घोषित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र पार्ट-IV, अम्बाला सदर की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव खानपुर (हदबस्त संख्या 190), गांव चुडियाला (हदबस्त संख्या 191) तथा गांव चुडियाली (हदबस्त संख्या 160) की पश्चिमी राजस्व सीमाएं हैं, जहां गांव समालखा (हदबस्त संख्या 130) और गांव धुराला (हदबस्त संख्या 159) की सीमा मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गांव चुडियाली, गांव चुडियाला, गांव दुबली (हदबस्त संख्या 222) तथा गांव लण्डा (हदबस्त संख्या 223) की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जहां गांव लण्डा की राजस्व सीमा जिला कुरुक्षेत्र तथा अम्बाला की सीमाओं का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गांव लण्डा तथा गांव खानपुर पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जोकि आरम्भिक बिन्दु है।

एस० एस० प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

Price : Rs. 5.00

(1)

नोट:-ऊपरवर्णित नियंत्रित क्षेत्र की मूल ड्राईंग किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार, अम्बाला के कार्यालय में देखी जा सकती है।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 2nd January, 2017

**No. CCP(NCR)/AMB/ACA-V/2017/2.**— Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional, recreational estates/ activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely: -

**SCHEDULE**

Schedule of boundaries of the Additional Controlled Area Part-V, district Ambala to be read with drawing No. DTP(A)2984/2016 dated 11.07.2016.

Starting from Point 'A', where the boundary of district Kurukshetra and district Ambala meets. Thence, moving towards North along the already declared Additional Controlled Area Part-IV, Ambala Sadar which is also the western revenue estate boundaries of village Khanpur (Hadbast No. 190), village Chudiala (Hadbast No. 191) and village Chudiali (Hadbast No. 160), upto point 'B' where boundary of village Sambhalakha (Hadbast No. 130) and village Dhurala (Hadbast No. 159) meets. Thence, moving towards south along the eastern revenue estate boundaries of village Chudiali, village Chudiala, village Dubli (Hadbast No. 222) and village Landa (Hadbast No. 223) upto point 'C' where revenue boundary of village Landa and the boundary of district Kurukshetra and district Ambala meets. Thence, moving towards North-West along the western boundary of revenue estate of village Landa and village Khanpur upto point 'A' *i.e.* the point of start.

S.S PRASAD,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Town and Country Planning Department.

**Note:-** The Original Drawing of above mentioned controlled area can be seen in the office of District Town Planner, Ambala on any working day.

---